न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

---

(1)
प्र.सं. 28 / 1997(रिमाण्ड प्रकरण 05 / 2020)
सीसीएमएस : 2020 / 00095

1. गणेशराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।
1 / 1. शान्ति पत्नी गणेशाराम
1 / 2. जोगराज पुत्र गणेशाराम
1 / 3. नथली पुत्री गणेशाराम
1 / 4. सुगना बाई पुत्री गणेशाराम
1 / 5. कृष्णा बाई पुत्री गणेशाराम
1 / 6. मोहिनी उर्फ मुन्नी बाई
1 / 7. सोमा बाई पुत्री गणेशाराम
1 / 8. मंगला बाई पुत्री गणेशाराम
1 / 9. मोहनलाल पुत्र गणेशाराम

(1/1 से 1/9 तक:) जातियान नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. बीकरराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सोनी पत्नी बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक)
3. शंकर पुत्र बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक)

3 / 1. भंवराराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3 / 2. श्योपतराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3 / 3. पीराराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3 / 4. कमला पुत्री शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. गोविन्दराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

4 / 1. भंवराराम पुत्र गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4 / 2. तनु देवी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. मूलाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 3 एफएफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. किशनाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन धक्का बस्ती, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. रखी पत्नी रामूराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन सुखचैनपुरा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. गुड्डी पत्नी पुनाराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकि[illegible] तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. जुगरा पत्नी बींझाराम पुत्री बख्ताराम [illegible] साकिन [illegible]सर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. नैनू पत्नी जीवनराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन [illegible]राठान जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

11. गोकी पुत्र कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर (मृतक) जरिये दादी कुदरती जीवणी /कालूराम।
11/1. राजीव पुत्र गोकी जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
11/2. महक पुत्री गोकी जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
12. पुनी पुत्र श्री कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
13. पप्पुड़ा पुत्र कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
14. जीवणी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री अवतारसिंह बराड़ अधिवक्ता वादी।
2. श्री राजाराम धारणियां अधिक्क्ता प्रतिवादी सं. 4/1 ता 4/2, 11/1 ता 11/2, 12 ता 14।

(2)
प्रकरण संख्या 30/1998
1. जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पप्पू पुत्र कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पुनी पुत्र कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. गोपी उर्फ गोकी (मृतक)
4/1. राजीव पुत्र नाबालिग जरिये दादी जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4/2. महक पुत्री नाबालिग जरिये दादी जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बनाम

1. बीकरराम पुत्र श्री बख्तारम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गोमदराम उर्फ गोविन्दराम (मृतक)
2/1. भंवराराम पुत्र गोमदराम उर्फ गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2/2. तनू देवी पुत्री गोमदराम उर्फ गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मूलाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 69 एनपी हाल 4 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. किशनाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 69 एनपी हाल वार्ड नं. 7 श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री अवतारसिंह बराड़ अधिक्क्ता प्रतिवादीगण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

-: **निर्णय** :- दिनांक : 28.03.2025

1. प्रकरण संख्या 28/1997 इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.12.2005 द्वारा वाद वादी खारिज किया गया। जिसकी अपील मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष करने पर मा. न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2009 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.12.2005 को निरस्त कर प्रकरण इन आदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि ''पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रत्येक वाद बिन्दू का निर्णय किया जावे।''जिस पर रिमाण्ड प्रकरण 05/2020 इस न्यायालय मे दर्ज किया गया।

2. यह कि प्रकरण संख्या 30/1998 अनवानी जीवणी बनाम बिकराराम आदि जरिये आदेशिका दिनांक 30.12.2002 प्रकरण संख्या 28/1997 के साथ सुनवाई हेतु संलग्न किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की गई, उक्त दोनों प्रकरणों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है जिनका संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है। वादी गणेशाराम ने एक वाद उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश निवेदन किया कि वादी एवं उसका संयुक्त परिवार जिसमें उसके ताया सुखराम, ताई जमना, पिता बख्ताराम, माता सोनी, दादा करना, एवं बिसना पाकिस्तान में निवास करते थे तथा भारत पाक विभाजन के समय विस्थापित होकर भारत आये एवं वादी के परिवार को पुनर्वास के लिये चक 69 एनपी के मु.नं. 35 के 24.10 बीघा व मु.नं. 36 में 12.05 बीघा कुल 36.15 बीघा का आवंटन सद्रस्यों के आधार पर किया गया था वादी के दादा करणा नाम परिवार के मुखिया थें। जिस वृद्वावस्था के कारण उन्होने अपने बड़े पुत्र को ही परिवार का मुखिया बनाया तथा इसी आधार पर वह परिवार के सभी कार्यो की देखभाल करता था आवंटन के पश्चात समस्त भूमि वादी के ताया सुखराम के नाम दर्ज हो गई। किन्तु मौका पर परिवार के सदस्यों का कब्ज़ा काश्त चला आ रहा है विस्थापित परिवार के सदस्यों में से सुखराम,जमना, बख्ता, करना व बिशना का देहान्त हो जाने से तथा भूमि उनके उतराधिकारियों में निहित हो जाने से संयुक्त परिवार का निर्वाह संयुक्त रूप से नहीं होने से वादी के हिस्सा में 1/7 भाग के आधार पर वादी के हिस्सा 5.05 बीघा भूमि आती है तथा वादी के दादा करणाराम के देहान्त के पश्चात उनके नाम की भूमि में वादी के पिता को 1/2 भाग की भूमि में 1/2 भाग वादी के पिता को एवं 1/2 भाग सुखराम को हिस्सा में आई तथा 1/2 भाग में वादी का 1/8 भाग निश्चित हुआ तथा बख्ताराम के 1/7 भाग में वादी का निश्चित है। इस प्रकार वादी के हिस्सा में मौका पर 6.05 बीघा भूमि आती है जमाबंदी में कुल भूमि सुखराम अकेले के नाम से होने से वादी अपने उक्त हको की घोषणा करवाने का अधिकरी है प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादी को अपने अधिकारों एवं कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है जिस पर वादी ने समझाया किन्तु वे नहीं माने और दिनांक 10.03.1997 को वादी को उसके हिस्सें की भूमि देने से इन्कार कर दिया यही वादकरण पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर [illegible] क व ख के अनुसार डिक्री किया जावे। चक 69 एनपी के [illegible] 35 के 24.10 व मु.नं. 36 के 12.05 कुल 36.15 [illegible] के स्वयं का 1/7 भाग एवं दादा करणाराम के 1/7 [illegible] एवं पिता वादी बख्ताराम की 1/7 भाग में [illegible] का हिस्से दार पाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

विस्थापित के दाखला रजिस्ट्रर के कम संख्या 72 के अनुसार घोषित किया जावे।

3. रिमाण्ड प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी की तरफ से श्री अवतारसिंह बराड अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रतिवादीगण की तरफ से श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। रिमाण्ड प्रकरण में पूर्व प्रस्तुत जवाब पेश होने पर निम्न लिखित विवाद्यक विरचित किये गये:–

(i) आया वादी के ताया सुखराम को चक 69 एनपी के मु.नं. 35 के 24.10 बीघा व मु.नं. 36 के 12.06 कुल 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि शरणार्थी के रूप में परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई थी। –:जिम्मेवादी

(ii) आया वादी का दादा करणाराम परिवार का मुखिया था लेकिन वृद्वावस्था के कारण चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण सुखराम को परिवार का मुखिया बनाया गया जिस कारण उनके नाम किश्ते भरी गई व भूमि नाम चढ़ गई। –:जिम्मेवादी

(iii) आया वादी उस परिवार में सदस्य होने के कारण 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। –:जिम्मेवादी

(iv) आया वादी उपरोक्त भूमि में से 6.06 बीघा भूमि को अपने नाम से खातेदारी अधिकारी होने के घोषणा करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मेवादी

(v) आया वादी अपने कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से बाज रहने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। –:वादीगण

(vi) आया भूमि अकेले सुखराम को आवंटित हुई व अकेले द्वारा ही किश्ते भरी गई व वादी का वाद अधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है –:जिम्मेप्रतिवादीगण

(vii) अनुतोष

4. वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वादिया शांति पत्नी गणेशाराम का शपथ पत्र पेश किया।ग्रुपलीडर चौथूराम रजिस्टर की प्रति प्रदर्श (1) है सुखराम के नाम की जमाबंदी संवत 2048–51 प्रदर्श (2) है। व चालू जमाबंदी प्रदर्श (3) है। प्रतिवादी की तरफ जीवणी ने दिनांक 20.02.2025 को शपथ पत्र पेश किया। जमाबंदी संवत 2052 से 2055 प्रदर्श ए–(1) है नकल इंतकाल संख्या 53 प्रदर्श ए–(2) है प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश अनवानी दावा जीवनी बनाम गणेशाराम अपील संहिता 40/99 दिनांक 05.03.2003 प्रदर्श ए–(3) है प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 09.02.2009 न्यायालय आर.ए.ए. श्रीगंगानगर प्रदर्श ए–(4) प्रदशित करवाये गये।

5. दिनांक 07.06.2022 को जोगराम पुत्र स्व. श्री गणेशाराम ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पेश किया जो स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर वादी अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक दिनांक 03.01.2023 को पेश किया। वादी के अधिवक्ता [illegible] दिनांक 13.08.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम [illegible] धारा 151 सीपीसी [illegible] किया। जिसके आधार पर तहसीलदार से जांच [illegible] प्राप्त हुई कि [illegible]यूजी ग्रुप रजिस्टर कटा–फटा है। दिनांक 30.01.2025 को वादी अधिवक्ता ने शान्ति देवी पत्नी गणेशाराम की तरफ से पार्थना पत्र आदेश 22 नियम [illegible] व धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रकरण संख्या 30/1998 अनवान जीवनी बनाम बीकरराम आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

में वादी अधिवक्ता ने वादिया जीवनी पत्नी कालूराम की तरफ से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पेश किया। अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये गये। जिसके आधार पर वादीगण के अधिवक्तागण ने संशांधित शीर्षक पेश किये गयें।

6. उक्त अनवान में इस न्यायालय के पत्र क्रमांकः रीडर/24/1066 दिनांक 03.12.2024 से मौका रिकार्ड की रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया गया। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांकः भू. अ./2025/720 दिनांक 12.02.2025 से अवगत करवाया। कि चक 69 एनपी के राजस्व रिकार्ड के अनुसार मु.नं. 35 की 6.200 है. और मु.नं. 36 की 3.101 है. कुल 9.301 है. नहरी भूमि गणेशाराम पुत्र बख्ताराम हिस्सा 581/9301 जाति नायक, धापूदेवी पत्नी बीकराराम हिस्सा 3488/9301 जाति नायक, बिशनाराम पुत्र सुखाराम हिस्सा 1163/9301 जाति नायक, बीकरराम पुत्र बख्ताराम हिस्सा 3488/9301 जाति नायक, शंकराराम पुत्र बख्ताराम हिस्सा 581/9301 जाति नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। मौका पर मु.नं. 35 के कि.नं. 8 में धापूदेवी पत्नी बीकरा राम की ढाणी बनी हुई है। तथा जमाबंदी में दर्ज खातेदार निम्नानुसार मौके पर काबिज हैः–

1. बीकराराम पुत्र बख्ताराम, धापूदेवी पत्नी बीकराराम मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 10/2.405, 13/0.178, 14 ता 19/1.518, 22/0.178, 23 ता 25/0.759, मु.नं. 36 कि.नं. 1 ता 12/2.911, 13/0.190 कुल 8.139 है.
2. शंकराराम पुत्र बख्ताराम मु.नं. 35 कि.नं. 11 ता 12/0.506, 13/0.075 कुल 0.581 है.।
3. गणेशाराम पुत्र बख्ताराम मु.नं. 35 कि.नं. 20 ता 21/0.506 है., 22/0.075 कुल 0.581 है. भूमि पर काश्त कर रहे है।

7. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (i) आया वादी के ताया सुखराम को चक 69 एनपी के मु.नं. 35 के 24.10 बीघा व मु.नं. 36 के 12.06 कुल 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि शरणार्थी के रूप में परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई थी।

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी। पत्रावली में उपलब्ध दाखिला रजिस्टर की फोटों प्रति जिसमें ग्रुप लीडर चोथूराम क्र.सं. 72 रिफयूजी दाखिला रजिस्टर तहसील कार्यालय रायसिंहनगर के अनुसार चक 69 एनपी के मु.नं. 35 की 24.10 बीघा तथा मु.नं. 36 की 12.05 कुल 36.15 बीघा भूमि सुखराम पुत्र करनाराम आयु 35 वर्ष, जमना पत्नी सुखराम आयु 25 वर्ष, बख्ताराम पुत्र करना भाई आयु 30 वर्ष, सोनी पत्नी बख्ता आयु 20 वर्ष, करना पिता आयु 74 वर्ष, गणेशी भजीजा आयु 10 वर्ष, बिसना पुत्र सुखराम(लड़का) आयु 8 वर्ष सभी को परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमि आवंटित हुई थी, उक्त सातों सदस्यों का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा भूमि थी। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया वादी का [illegible] मुखिया था लेकिन वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में असमर्थ [illegible] के कारण सुखराम को परिवार का मुखिया बनाया गया जिस कारण उनके नाम किश्ते भरी गई व भूमि नाम चढ़ गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व दाखिला रजिस्टर व आवंटन रजिस्टर के अनुसार तनकी सं. 1 में वर्णित भूमि अकेले सुखराम को आवंटन नहीं हुई थी बल्कि सात सदस्यों को बहिस्सा बराबर आवंटन हुई थी इसलिए सभी सातों सदस्यों का उसमें बराबर–बराबर हिस्सा है। प्रत्येक सदस्य उसमें 1/7 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या(iii) आया वादी उस परिवार में सदस्य होने के कारण 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादग्रस्त भूमि परिवार के 7 सदस्यों को आवंटित हुई थी। जिससें गणेशा को सुखराम का भजीजा आयु 10 वर्ष दर्शाया गया है। इस कारण गणेशा उर्फ गणेशाराम 1/7 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। गणेशाराम पुत्र बख्ताराम की मृत्यु होने के कारण उनके विधिक वारिसान वादीगण 1/1 ता 1/9 उसके 1/7 हिस्से में बराबर–बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

(iv) आया कि वादी उपरोक्त भूमि में से 6.06 बीघा भूमि को अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी पर थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादग्रस्त भूमि परिवार के सदस्यों की आवंटित होने के कारण वादी 1/7 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की मृत्यु होने के कारण इसके विधिक वारिसान वादीगण 1/1 ता 1/9 उसके 1/7 हिस्सा में सें बहिब प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

(v) आया कि वादी अपने कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से बाज रहने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वाद में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त भूमि परिवार के सदस्यों को आवंटित हुई थी। प्रत्येक सदस्य का 1/7 हिस्सा निहित है। वादी की मृत्यु होने के कारण उसके विधिक वारिसान वादीगण 1/1 ता 1/9 ब.हि.ब. प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादी के संयुक्त कब्जा काश्त की 1/7 हिस्सा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। यह तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

(vi) आया भूमि अकेले सुखराम को आवंटित हुई व अकेले द्वारा ही किश्ते भरी गई व वादी का वाद आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज यथा दाखिला रजिस्[illegible]जी आवंटन रजिस्टर तहसील कार्यालय रायसिंहनगर के अ[illegible]69 एनपी के मु.नं. 35 की 24.10 बीघा तथा मु.नं. 36 की 12.05 [illegible] 36.15 बीघा भूमि सुखराम पुत्र करनाराम आयु 35 [illegible] आयु 25 वर्ष, बख्ताराम पुत्र करना भाई आयु [illegible] बख्ता आयु 20 वर्ष, करना पिता आयु 74 वर्ष, गणेशी भजीजा आयु 10 [illegible], बिसना पुत्र सुखराम (लड़का) आयु 8 वर्ष सभी को परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

आवंटित हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससें यह प्रमाणित होता हो कि उक्त वादग्रस्त भूमि अकेले सुखराम को आवंटित हुई थी तथा सुखराम द्वारा ही अकेले किश्ते भरी हो। अतः परिवार के सभी सातों सदस्य ब.हि.ब. के वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। आवंटी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके हिस्से की 1/7 भूमि उसके विधिक वारिसों में बहिब दर्ज की जावेगी। सुखराम, जमना पत्नी सुखराम, बख्ताराम, सोनी, करना, गणेशा व विशना का देहान्त हो चुका है इस कारण आवंटी सदस्य के विधिक वारिस ब.हि.ब. प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

(vii) अनुतोष

तनकी संख्या 1 ता 6 बहक वादीगण निर्णीत की गई है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर चक 69 एनपी के मु.नं. 35 की 24.10 बीघा, मु.नं. 36 की 12.05 बीघा कुल 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि दाखिला रजिस्टर व रिफयूजी आवंटन रजिस्टर तहसील कार्यालय रायसिंहनगर के अनुसार परिवार के सातों सदस्यों को ब.हि.ब. (1/7 प्रत्येक का हिस्सा) आवंटित हुई थी इसलिए प्रत्येक सदस्य को 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का हक है। वादी गणेशाराम की मृत्यु होने के कारण उसके विधिक वारिसान वादीगण सं. 1/1 ता 1/9 बहिस्सा बराबर मृतक गणेशराम के 1/7 में भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादी के हिस्से की 1/7 भूमि उसके विधिक वारिसान 1/1 ता 1/9 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। सुखराम पुत्र करना, जमना पत्नी सुखराम की मृत्यु हो चुकी है इसके हिस्सा की 2/7 भूमि, बिसना जो सुखराम का लड़का था वह अविवाहित व नाबालिग फौत हो चुका है उसके हिस्से की 1/7 भूमि तथा सुखराम के पिता करना भी फौत हो चुके है इसलिए करना के हिस्से की 1/7 में से 1/14 भूमि कुल 1/2 हिस्से भूमि के सुखराम के विधिक वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए इन्हे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है अतः कुल 36.15 बीघा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि के सुखराम के गोविन्दराम, मूलाराम, किशनाराम व कालूराम चार विधिक वारिस बताये गये है अतः पत्रावली में मौजूद विधिक उत्तराधिकारियों में से जीवणी बैवा कालूराम पप्पू, पूनी पुत्र कालूराम गोपी उर्फ गोकी मृतक के वारिसान राजीव पुत्र व महक पुत्री को 1/4 हिस्सा बहिब व गोमदराम उर्फ गोविन्दराम मृतक के वारिसान भंवराराम पुत्र, तनुदेवी पुत्री बहिब 1/4 हिस्सा व मूलराम 1/4 हिस्सा व किशनाराम 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है शेष 5/14 हिस्सा (मृतक बख्ताराम 1/7 हिस्सा, सोनी पत्नी बख्ताराम 1/7 हिस्सा व करना के हिस्से की शेष भूमि 1/14) के विधिक वारिसान की जांच करके उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। त[illegible] रायसिंहनगर को उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के [illegible]श दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैस[illegible]र होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली [illegible]डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास सुभाषचन्द्र आर ए एस

सं. 28/1997(रिमाण्ड प्रकरण 05/2020)
सीएमएस : 2020/00095

1. गणेशराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज।

1/1. शान्ति पत्नी गणेशाराम
1/2. जोगराज पुत्र गणेशाराम
1/3. नथली पुत्री गणेशाराम
1/4. सुगना बाई पुत्री गणेशाराम
1/5. कृष्णा बाई पुत्री गणेशाराम
1/6. मोहिनी उर्फ मुन्नी बाई
1/7. सोमा बाई पुत्री गणेशाराम
1/8. मंगला बाई पुत्री गणेशाराम
1/9. मोहनलाल पुत्र गणेशाराम

— जातियान नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. बीकरराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. सोनी पत्नी बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक)
3. शंकर पुत्र बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। (मृतक)

3/1. भंवराराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3/2. श्योपतराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3/3. पीराराम पुत्र शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3/4. कमला पुत्री शंकरराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4. गोविन्दराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक)

4/1. भंवराराम पुत्र गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

4/2. तनु देवी पुत्री गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. मूलाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 3 एफएफ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. किशनाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन धक्का बस्ती, श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. रखी पत्नी रामूराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन [illegible] तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. गुड्डी पत्नी पुनाराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन [illegible] एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. जुगरा पत्नी बींझाराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन [illegible]टसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

10. नैनू पत्नी जीवनराम पुत्री बख्ताराम जाति नायक साकिन डबलीराठान जिला हनुमानगढ़।
11. गोकी पुत्र कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर (मृतक) जरिये दादी कुदरती जीवणी / कालूराम।
11/1. राजीव पुत्र गोकी जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
11/2. महक पुत्री गोकी जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
12. पुनी पुत्र श्री कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
13. पप्पुड़ा पुत्र कालूराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
14. जीवणी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 58 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

(2)
प्रकरण संख्या 30/1998

1. जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पप्पू पुत्र कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पुनी पुत्र कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. गोपी उर्फ गोकी (मृतक)
4/1. राजीव पुत्र नाबालिग जरिये दादी जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4/2. महक पुत्री नाबालिग जरिये दादी जीवनी बेवा कालूराम जाति नायक साकिन 69 एनपी ढाणी हाल 61 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बनाम

1. बीकरराम पुत्र श्री बख्ताराम जाति नायक साकिन 69 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. गोमदराम उर्फ गोविन्दराम (मृतक)
2/1. भंवराराम पुत्र गोमदराम उर्फ गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
2/2. तनू देवी पुत्री गोमदराम उर्फ गोविन्दराम जाति नायक साकिन 3 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मूलाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 69 एनपी हाल 4 एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. किशनाराम पुत्र सुखराम जाति नायक साकिन 69 एनपी हाल वार्ड नं. 7 श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188—92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

निर्णय दिनांक:—28.03.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई बरूबरू हमारे हाजरी श्री अवतारसिंह [illegible]राड़ अधिवक्ता वादी व श्री राजाराम धारणिया अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] पेश होकर हुकम दिया [illegible]कर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:— वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए [illegible]राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली—भांति साबित होने पर स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

...ाकर चक 69 एनपी के मु.नं. 35 की 24.10 बीघा, मु.न. 36 की 12.05 बीघा कुल 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि दाखिला रजिस्टर व रिफयूजी आवंटन रजिस्टर तहसील कार्यालय रायसिंहनगर के अनुसार परिवार के सातों सदस्यों को ब.हि.ब. (1/7 प्रत्येक का हिस्सा) आवंटित हुई थी इसलिए प्रत्येक सदस्य को 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का हक है। वादी गणेशाराम की मृत्यु होने के कारण उसके विधिक वारिसान वादीगण सं. 1/1 ता 1/9 बहिस्सा बराबर मृतक गणेशराम के 1/7 में भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादी के हिस्से की 1/7 भूमि उसके विधिक वारिसान 1/1 ता 1/9 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। सुखराम पुत्र करना, ...मना पत्नी सुखराम की मृत्यु हो चुकी है इसके हिस्सा की 2/7 भूमि, बिसना जो सुखराम का लड़का था वह अविवाहित व नाबालिग फौत हो चुका है उसके हिस्से की 1/7 भूमि तथा सुखराम के पिता करना भी फौत हो चुके है इसलिए करना के हिस्से की 1/7 में से 1/14 भूमि कुल 1/2 हिस्से भूमि के सुखराम के विधिक वारिसान प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए इन्हे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है अतः कुल 36.15 बीघा विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि के सुखराम के गोविन्दराम, मूलाराम, किशनाराम व कालूराम चार विधिक वारिस बताये गये है अतः पत्रावली में मौजूद विधिक उत्तराधिकारियों में से जीवणी बैवा कालूराम ...पू, पूनी पुत्र कालूराम गोपी उर्फ गोकी मृतक के वारिसान राजीव पुत्र व महक पुत्री को 1/4 हिस्सा बहिब व गोमदराम उर्फ गोविन्दराम मृतक के वारिसान ...राराम पुत्र, तनुदेवी पुत्री बहिब 1/4 हिस्सा व मूलराम 1/4 हिस्सा व किशनाराम 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है शेष 5/14 हिस्सा (मृतक बख्ताराम 1/7 हिस्सा, सोनी पत्नी बख्ताराम 1/7 हिस्सा व करना के हिस्से की शेष भूमि 1/14) के विधिक वारिसान की जांच करके उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है।

डिक्री आज दिनांक 28.03.2025 को जारी की गई।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

...ांक/रीडर/2025/404
दिनांक:– 21.04.2025

प्रतिलिपि:–
तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(सुभाषचन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.21 13:10:09 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner